Since March 2002
A National, Registered & Refereed Monthly Journal : Sociology
Research Link - 173, Vol - XVII (6), August - 2018, Page No. 49-51
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

विकास कार्यक्रमों के प्रति अनुसूचित जाति की महिलाओं में जागरुकता (बिलासपुर जिले के मस्तुरी विकासखण्ड की अनुसूचित जाति के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में बिलासपुर जिले के मस्तुरी विकासखण्ड के अंतर्गत महिलाओं पर केन्द्रित विकास कार्यक्रमों के प्रति महिलाओं में जागरुकता का अध्ययन किया गया है। वर्तमान समाज में अनुसूचित जाति की महिलाएँ पहले की अपेक्षा तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर हैं, परंतु वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखें तो साफ है कि इन महिलाओं का विकास सभी दिशाओं में समाजन रुप से दिखाई नहीं देता है, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में निवासरत महिलाओं के संदर्भ में। अनुसूचित जाति की महिलाओं को मुख्यधारा में शामिल करने हेतु उनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए भारत सरकार व राज्य सकार ने विभिन्न विकास कार्यक्रम व योजनाएँ, नीतियाँ व प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाएँ, परंतु ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

ममता पारीक*, डॉ.प्रीति मिश्रा एवं डॉ.जवाहरलाल तिवारी*****

प्रस्तावना :

ऐतिहासिक क्रम में अनेकानेक सामाजिक और धार्मिक निषेधों तथा आर्थिक विवशताओं के चलते महिलाएँ घर की चाहरदीवारी में ही कैद रही है, जिसके परिणामस्वरूप अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों और उत्पीड़न को बर्दाश्त करना उनकी नियति बन गई थी। अनुसूचित जाति की महिलाओं के संदर्भ में तो ये विवशताएँ और निर्योग्यताएँ दोहरी थी, एक महिला होने के कारण ओर दूसरी निम्न जाति से सम्बन्धित होने के कारण। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तनों और आंदोलनों के क्रम में भी हम देखते हैं, जहाँ महिलाओं में जागरूकता धीरे–धीरे दिखाई पड़ने लगी थी, वहीं अनुसूचित जाति की महिला होने के कारण इस वर्ग की महिलाओं में यह जागरूकता सामान्य तौर पर स्वतंत्रता के पश्चात् भी काफी कम दिखाई देती है। हालांकि विकास कार्यक्रमों व योजनाओं के प्रावधानों से तथा महिलाओं के अधिकारों के परिणामस्वरूप हमें अनुसूचित जाति की महिलाओं में कुछ जागरूकता देखने को मिली है।

भारतीय जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को उच्च और निम्न जातियों में बांट दिया है। उच्च जातियाँ सदियों से निम्न जातियों का शोषण करती रही है। निम्न जातियाँ सफाई, चमड़ा–उद्योग, मल ढुलाई जैसे पेशों से जुड़े थे। वे अधिकांशतः अनुसूचित जाति के होते थे। वे हमेशा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते थे। इनसे उच्च वर्ग द्वारा अमानवीय कार्य कराये जाते थे। पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति निम्न थी। महिलाएँ घर परिवार के बंधनों में बंधी थी। महिलाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी।

किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति को जानने के लिए वहाँ की महिलाओं की स्थिति एवं उनका स्तर का आकलन करना अति आवश्यक है। समाज में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महिलाओं की शक्ति का समुचित उपयोग करने एवं सम्माननीय स्थान देने पर वे राष्ट्र के विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित कर सकती है। यह सच है कि ग्रामीण महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़े बिना समाज, राज्य एवं राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 80 के दशक के बाद महिला विकास हेतु किये गये सरकारी प्रयत्नों ने महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दिशा में और प्रयास किये जाने की नितांत आवश्यकता है। बिलासपुर जिले के मस्तुरी विकासखण्ड के अन्तर्गत महिलाओं पर केन्द्रित विकास कार्यक्रम बिना भेदभाव के ही समस्त संवर्ग की महिलाओं के लिए समान रूप से निर्मित एवं संचालित है। केन्द्र सरकार, व राज्य सरकार की ओर से शासकीय मशीनरी के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ व कायक्रम बनाकर जिला स्तर पर, विकासखण्ड स्तर पर एवं ग्राम स्तर पर विभिन्न माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है।

अध्ययन का समाजशास्त्रीय महत्व :

सामाजिक शोध का सम्बंध सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के अनुसंधान (नूतन या नवीन खोज) से पनपता है और वास्तविक ज्ञान का घोतक है। सामाजिक भाोध का यही महत्व है कि यह वह साधन है, जिसके द्वारा हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। शोध को नवीन वस्तुओं के सम्बंध में हमारे मन की जिज्ञासा को मिटाने का एक मात्र साधन भी इस अर्थ में माना जाता है। इसके द्वारा सामाजिक घटनाओं

**शोधार्थी, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*
***शोध निर्देशक एवं प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग), शासकीय जे.यों.छत्तीसगढ़ स्नातक स्व.महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*
****सह-शोध निर्देशक एवं एसोसिएट प्राध्यापक, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*

के अनेक अस्पष्ट या अंधकार पूर्ण पक्षों के सम्बंध में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से नई–नई जानकारी प्राप्त होती रहती है।

अध्ययन उसी कमी को पूरा करने का एक प्रयास कहा जा सकता है, जिसके माध्यम से महिला विकास की ओर अग्रसर हो सकें। अध्ययन महिला विकास की दिशा में कारगर सिद्ध होगा। यह अध्ययन की प्रासिंगता को स्पष्ट करेगा।

शोध साहित्य का पुनरावलोकन :

प्रस्तावित शोध विषय से सम्बधित शोध अध्ययनों की समीक्षा इस प्रकार है :

(1) शारदा (2001)[1] ने अपने अध्ययन में स्व–सहायता समूहों में महिला विकास (सशक्तिकरण) 35–80 प्रतिशत तथा न्यूनतम 35 प्रतिशत की सीमा में पाया। मनोवैज्ञानिक स्तर पर महिलाऐं विकसित व सशक्त हुई है, किन्तु वास्तविक रूप से महिलाओं का विकास व सशक्तिकरण स्तर न्यूनतम है। इसका मुख्य कारण परंपरावादी समाज, जागरूकता की कमी, निर्णय क्षमता, निर्माण क्षमता एवं प्रबंधकीय क्षमता निम्न स्तर की होने के साथ जानकारी एवं जागरूकता का अभाव होने के फलस्वरूप महिलाओं का विकास निम्न स्तर का था।

(2) EDA Rural System (2006)[2] में 20 संस्थाओं के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि लघु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से व्यक्तियों (महिलाओं) में जागरूकता में वृद्धि पाई गई है। इसके माध्यम से महिलाओं के सामाजिक सम्पर्क में वृद्धि व सशक्तिकरण (विकास) पाया गया है।

(3) Holvoet (2005)[3] R. Sunil (2005)[4] के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि लघु वित्तीय संस्थाओं (महिला संस्थानों) के माध्यम से किए जाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ न केवल समाज की गरीब महिलाओं को शक्त बनाती है, वरन् इन गतिविधियों के द्वारा उनमें सामाजिक जागरूकता भी लायी जाती है। जिसके फलस्वरूप वे अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सजग रहती है। जिससें सामाजिक विकास को बल मिलता है।

(4) APMS (2005)[5] के अध्ययन अनुसार स्व–सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं में साक्षरता, जन्मदर, अधिकारों के प्रति जागरूकता में प्रभावी ढ़ंग से वृद्धि पाई गई है। समाज में राजनैतिक व सामाजिक जागरूकता भी पाई गई। परिवार नियोजन, पर्यावरण HIV/AIDS पर जागरूकता मुख्य रूप थी। टेलीविजन व रेडियो संचार का एक प्रभावी माध्यम है, जो अनुसूचित जाति की महिलाओं में चेतना का संचार करता है, विकास कार्यक्रमों की जानकारी इनके माध्यम से होती है और महिलाओं में विकास एवं जागरूकता का विकास करने का प्रमुख माध्यम है। टेलीविजन के माध्यम से शासन द्वारा संचालित कई प्रकार के लाभदायक कार्यक्रमों की जानकारी मिलती है।

शोध अध्ययन का उद्देश्य :

प्रत्येक मानवीय प्रयास के मूल में कोई न कोई प्रयोजन अथवा उद्देश्य अवश्य निहित होता है। सभी शोध कार्यो की आवश्यकता के पीछे जो मूल उद्देश्य निहित होता है व ज्ञान की वृद्धि करना, अज्ञात जानकारी प्राप्त करना तथा नये सिद्वांतों का प्रतिपादन या पुराने सिद्वांतों का नई परिस्थितियों में सत्यापन करना होता है। शोध–परक आधारों पर प्रस्तावित अध्ययन हेतु निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं।

विकास कार्यक्रमों के प्रति अनुसूचित जाति की महिलाओं में जागरूकता को ज्ञात करना।

शोध (उपकल्पना) :

उपकल्पना एक सहज मानवीय प्रवृत्ति है, जिसमें अपने अतः इनके द्वारा किसी तथ्य की रूप–रेखा तैयार करते है। शोध–पूर्व के कारण परिणाम तथा उसके महत्व के बारे में जो हमारे मन में अवधारणा बनती है, उसे ही उपकल्पना कहते है। उपकल्पना के द्वारा ही नये क्षेत्र में शोध कार्य संभव होते हैं। कुछ पूर्व जानकारी के आधार पर हम शोध कार्य की एक उपकल्पना की रूप–रेखा बनाते हैं तथा इसी के आधार पर हम शोध कार्य प्रारम्भ करते हैं।

(1) शिक्षित महिलाओं की तुलना में, निरक्षर महिला, विकास कार्यक्रमों के प्रति कम जागरूक रहती है।

अध्ययन की पद्धति :

प्रस्तावित शोध अध्ययन को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र का परिचय, उत्तरदाताओं का चयन एवं तथ्य संकलन की प्रविधि एवं उपकरण तीन उप भागों में विभक्त किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय :

बिलासपुर जिले के अन्तर्गत तहसील मस्तुरी एवं विकास खण्ड मस्तुरी है, जिसकी दूरी बिलासपुर से 15 कि.मी. है। मस्तुरी विकास खण्ड का क्षेत्रफल 739.20 कि.मी. राजस्व निरीक्षक वृत्त 02, पटवारी हल्का की संख्या 29, ग्रामों की संख्या 172, राजस्व ग्राम 170 वीरान ग्राम 02 ग्राम पंचायतों की संख्या 106 है।

जनसंख्या : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मस्तुरी विकासखण्ड की कुल जनंसख्या 297726 है। इसमें पुरूषों की संख्या 149980 तथा महिलाओं की जनसंख्या 147746 है। मस्तुरी विकास खण्ड में अनुसूचित जाति की संख्या 86228, अनुसूचित जनजाति की संख्या 39665 अन्य जातियों की संख्या 171833 है। अनुसूचित जाति की महिलाओं की जनसंख्या 42357 है, परंतु अधिकत्तर परिवार कमाने खाने (मजदूरी) हेतु अन्य प्रदेश में चले जाते हैं।

(2) उत्तरदाताओं का चयन :

प्रस्तुत अध्ययन में मस्तुरी विकास खण्ड की 150 अनुसूचित जाति की महिलाओं का चयन किया गया है। उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन प्रविधि के अन्तर्गत लाटरी प्रणाली के माध्यम से किया गया है।

(3) तथ्य संकलन की प्रविधि एवं उपकरण :

प्रस्तुत शोध अध्ययन में चयनित उत्तरदाताओं से तथ्यों का संकलन, साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन प्रविधि द्वारा किया गया है तथा साथ ही साक्षात्कार निर्देशिका का भी प्रयोग किया गया है।

शोध के संभावित परिणाम :

(1) अध्ययन उन सभी शोधार्थियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में होगा, जो अध्ययन के महत्व को दर्शाएगा।

तालिका 1 : विकास कार्यक्रमों के प्रति अनुसूचित जाति की महिलाओं में जागरूकता एवं विकास कार्यक्रमों की जानकारी

स.क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	33	22
2	नही	117	78
योग		**150**	**100**

अनुसूचित जाति महिलाओं में जागरूकता एवं विकास कार्यक्रमों की जानकारी का तालिका 1 के अनुसार विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ है कि 22 प्रतिशत विकास कार्यक्रमों की जानकारी एवं जागरूकता है तथा 78 प्रतिशत जानकारी एवं जागरूकता का अभाव है।

तालिका 2 : विकास कार्यक्रमों की जानाकरी नही मिलने के उत्तरदायी कारण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अशिक्षा के कारण	75	50
2	अधिकारियों व कर्मचारियों के असहयोग के कारण	39	26
3	जानकारी का आभाव/अन्य कारण	36	24
योग		**150**	**100**

तालिका 2 का विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि आज भी अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा व जागरूकता का अभाव है। 50 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षा के कारण, 26 प्रतिशत अधिकारियों व कर्मचारियों के असहयोग के कारण एवं 24 प्रतिशत जानकारी का आभाव एवं अन्य कारणों को उत्तरदायी मानते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव :

मस्तुरी विकासखण्ड के अन्तर्गत अनुसूचित जाति महिलाओं में विकास कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया है। तथ्यों से ज्ञात हुआ है कि महिलाओं में शिक्षा का अभाव, निरक्षरता, अधिकारों से अनभिज्ञता, समाज में स्त्री–पुरूश के बीच दोहरे मापदण्ड कर्मचारियों एवं अधिकारियों का असहयोग व जानकारी का अभाव के कारण जागरूकता का भी अभाव के कारण विकास कार्यक्रमों का लाभ नही ले पा रही हैं।

अनुसूचित जाति की महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक व शैक्षणिक विकास के लिए सरकारी योजनाओं का और अधिक प्रचार–प्रसार करना चाहिए। महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। गाँव के सरपंच व शासन के अधिकारियों द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार को अपने प्रयासों का अधिक विस्तार करना चाहिए।

संदर्भ :

(1) *Saradha (2001) : Empowerment of Rural Women Through Self help group in Prakashan Distt. Of Andhra Pradesh Aa analysis University of Agriculture Science Bangalore 2007 pp 308.*

(2) *EDA Rural Systems (2006) : Self help groups in India a A Study of Lights and Shades gurgaon India EDA Rural System PP12-16 .*

(3) *Holvoet, N (2005) : The Impact of Microfinanondecision Marking agency Evidence from South India Development And Change 36(1) 75-102.*

(4) *Sunil. R. (2006) : SHG Bank Linkage Programme in India Phd. Thesis IIT Mumbai 167-169.*

(5) *APMAS (2005) : The Stuudy of SHG Movement In cuddapah District (http://www.apmas.org) Dp cit. PP. 12-33.*

(6) *जनगणना 2011 http://descg.gov.in/populalion census.axpx*

(7) *सोनकर, शम्भु : अनुसूचित जाति एवं ग्रामीण विकास, शोध प्रबंध, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।*

(8) *आशा रानी : महिला विकास कार्यक्रम, इनायत पब्लिशस।*

(9) *सिंह, डॉ0 वी.एन. एवं डॉ0 सिंह, जनमेजय (2011) : ग्रामीण समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली।*

(10) *तेज, संगीता एवं पाण्डेय, तेजस्कर (2012) : समाज कार्य, पुस्तक प्रकाशक जुवली ''एच'' फाउन्डेशन, लखनऊ।*

❁❁

A National, Registered & Refereed Monthly Journal : Sociology
Since March 2002
Research Link - 173, Vol - XVII (6), August - 2018, Page No. 52-54
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

ग्रामीण विकास में पंचायत की भूमिका : समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र में ग्रामीण विकास में पंचायत की भूमिका का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। भारतीय संस्कृति और समाज का एक अभिन्न अंग पंचायत रही है। ग्रामीण क्षेत्र में आदिकाल से ही न्याय, अनुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्माण कार्यों की व्यवस्था पंचायत के हाथों में रही है। ग्रामीण समुदाय के इन छोटे गणतंत्र की व्याख्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। रामायण, महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी पंचायतों का वर्णन है। भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। इन गाँवों का सर्वांगण विकास पंचायत के माध्यम से किया जाता है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत पंचायत राज व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

आरती कुमारी

भूमिका :

भारत गाँवों का देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ 640867 गाँव हैं। इन गाँवों में देश की 68.8 प्रतिशत आबादी रहती है। यह आबादी भारत की रीढ़ कही जा सकती है, जो निम्न आय वर्ग से सम्बन्ध रखती है किन्तु देश के विकास और भारत के पोषण को आधार प्रदान करती है। स्वयं अभाव में जीवनयापन करने वाला ग्रामीण समाज उस शहरी सभ्यता के विकास की ऊँची बुलन्दियों को छूने में मदद कर रहा है जिसे इण्डिया के नाम से जाना जाता है। महानगरों और छोटे शहरों के चमक–दमक के पीछे पृष्ठभूमि में एक ऐसा समाज भी है, जो आज भी विकास की बाट जोह रहा है। अतः भारत के विकास के लिए आवश्यक है ग्रामीण विकास। बिना ग्रामीण विकास के अब्दुल कलाम का 2020 तक भारत के विकसित देश बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह सकता है। समग्र और वास्तविक विकास की प्राप्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना होगा क्योंकि ग्रामीण विकास ही समग्र विकास की कुँजी है। महात्मा गाँधी ने भी ग्रामीण विकास पर सबसे अधिक बल दिया था। वे कहा करते थे कि ''भारत तो ग्रामों का देश है। अतः यहाँ की प्रगति ग्राम की प्रगति पर निर्भर करती है। अगर ग्राम नष्ट हो जाए, तो हिन्दुस्तान भी नष्ट हो जाएगा। वह हिन्दुस्तान ही नहीं रह जाएगा। दुनिया में उसका अपना 'मिशन' ही खत्म हो जाएगा।''[1]

''देश की आत्मा गाँवों में बसती है'', इस मूलमंत्र को दृष्टिगत रखते हुए यह अवश्यम्भावी हो जाता है कि देश के गाँवों को विकास के पथ पर अग्रसर किया जाए, गाँवों को विकास की मुख्यधारा में समाहित किया जाए। विकास का मूलभूत उद्देश्य एक ऐसी समतावादी समाज व्यवस्था को सुनिश्चित करना है, जहाँ पर सभी व्यक्ति समान हो, सभी के लिए समान रूप से 'अवसरों की समानता' विद्यमान हो तथा विभिन्न क्षेत्रों, समाज एवं वर्ग आदि में असमानता की लकीरें न हो।

भारत में ग्रामीण विकास की चेतना का सूत्रपात राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के द्वारा किया गया। गाँधीजी का मत था कि भारत की अधिकांश जनता गाँवों में ही निवास करती है। अतः देश की खुशहाली गाँवों की खुशहाली व विकास पर ही निर्भर है। गाँधीजी ने प्रत्येक गाँव को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाकर समानता पर आधारित राष्ट्र के निर्माण की संकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने भारत के विकास की प्रत्येक योजना का शुभारम्भ गाँव से करने पर बल दिया। साथ ही यह विचार भी रखा कि गाँव को एक इकाई मानकर कार्य किया जाए।

6 मई, 1939 को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी वृंदावन में ग्राम सेवकों द्वारा आयोजित एक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा था ''यह देखकर मुझे बहुत दुःख होता है कि आप लोगों में से अधिकांश या तो शहर से आये हैं या शहरी जीवन के अभ्यस्त हैं। जब तक आप अपना मन शहर से हटाकर गाँवों में नहीं लगायेंगे, तब तक गाँव के लोगों की सेवा आप नहीं कर सकते। आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि हिन्दुस्तान गाँवों से बना है, शहरों से नहीं और जब तक आप ग्राम्य जीवन को और गाँवों के कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित नहीं कर सकते, तब तक आप उनका पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। हमारे गाँवों में जीवन का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है और ये मृतप्राय हैं। औद्योगीकरण उनमें प्राणों का संचार नहीं कर सकता है। अपनी झोंपड़ी में रहने वाले किसान को जीवन तभी मिलेगा जब उसे अपने घरेलू उद्योग फिर से वापस मिलेंगे तथा जब अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए वह गाँवों पर ही निर्भर रहेगा, शहरों पर नहीं, जैसा कि आज उसे विवश होकर करना पड़ रहा है। इस आधारभूत सिद्धान्त को यदि आप आत्मसात नहीं करते तो ग्राम पुनर्निर्माण के उस कार्य में लगने वाला सारा समय व्यर्थ जाएगा।''[2]

शोधार्थी (समाजशास्त्र विभाग), वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

परन्तु सच्चाई यह है कि गाँव विकास की दौड़ में पीछे रह गये, विकास की मुख्यधारा में समाहित होने से वंचित रह गये, जबकि देश की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। आजादी मिले 70 साल हो गए, किन्तु आज भी देश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अनेक दृष्टिकोणों से व्यापक अन्तराल पाया जाता है। एक ओर देश में चमचमाते, अनेक सुविधाओं से लैस, भव्य इमारतों से सुसज्जित शहर है जो 'शाइनिंग इण्डिया' की अवधारणा को मूर्त्त रूप प्रदान कर रहे हैं तो दूसरी ओर मूलभूत सुविधाओं से वंचित, विकास की रोशनी से दूर तथा विभिन्न अभावों से जूझ रहे गाँव, जहाँ देश की आत्मा निवास करती है।

वर्तमान में संरचनात्मक एवं प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के कारण जहाँ नगर विकास की धुरी बनकर उभरे हैं, वहीं दूसरी तरफ गाँव विकास की दौड़ में पीछे रह गये हैं। इस कारण गाँव और नगर के मध्य सामाजिक–आर्थिक विषमता की दरारें विस्तृत रूप धारण कर रही हैं। इन दरारों को कम करने के लिए आवश्यक है ग्रामीण विकास।

ग्रामीण विकास की अवधारणा :

जहाँ तक ग्रामीण विकास की अवधारणा का प्रश्न है, इसको लेकर वैचारिक और सैद्धान्तिक मतभेद हैं। चूँकि आर्थिक विकास की अवधारणा पर अर्थशास्त्रियों के भिन्न–भिन्न मत हैं, इसीलिए ग्रामीण विकास को परिभाषित करना कठिन है। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि ग्रामीण विकास का मतलब है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, बिजली का विस्तार, खेती की तकनीकों में सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। लेकिन यह परिभाषा इस मायने में संकुचित है कि यह ग्रामीण विकास के उद्देश्यों की संकुचित धारणा पर आधारित है।

सर्वप्रथम ग्रामीण विकास को कृषि विकास से अलग करके देखना चाहिए। ग्रामीण दरिद्रता की समस्या के समाधान के लिए यह रणनीति अपनाई गई कि किसानों को अधिक–से–अधिक ऋण दिए जाएँ, लेकिन यह रणनीति भारत, श्रीलंका, बंगलादेश जैसे देशों में विफल हो गई। इस तरह की रणनीति कुछ क्षेत्रों में किसानों के छोटे मध्यम वर्ग को जन्म दे सकती है। अतएव पूरे ग्रामीण क्षेत्र में इस रणनीति से ग्रामीण निर्धनता का हल नहीं किया जा सकता है। गरीब व्यक्तियों की आय को बढ़ाने के लिए भी कई प्रकार के कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इनसे भी कल्याण एवं अन्य सेवाओं की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। अतएव ''ग्रामीण विकास में वैसे कार्यक्रमों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए जिनका लक्ष्य हो व्यक्ति के जीवन अवसरों को उन्नत करना एवं सामूहिक कल्याण।''[3] इस धारणा को लेकर यदि चला जाए तो ग्रामीण विकास का स्वरूप न केवल अलग–अलग देशों में अलग–अलग होगा, बल्कि एक ही देश के भीतर एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र में भी अन्तर होगा।

ग्रामीण विकास को किस सीमा तक बाह्य प्रेरकों पर निर्भर रहना चाहिए? यह सवाल भी उठता है। बाह्य प्रेरकों पर अधिक निर्भरता से स्थानीय आबादी आत्मनिर्भरता से विमुख हो जाएगी। यह उनकी निर्भरता को मजबूत करेगा। अतएव ''ग्रामीण विकास की अवधारणा के भीतर ऐसी रणनीति को अवश्य शामिल करना चाहिए जिसका जोर ग्रामीण उत्पादन व्यवस्था के भीतर नयी शक्ति के आवंटन पर हो ताकि रोजगार का अवसर बढ़ सके और पेशे के बहुत सारे अवसर लोगों को प्राप्त हो सके।''[4]

वी. के. आर. राव के अनुसार ''आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो आवश्यक रूप से व्यक्तियों के विकास का एक ऐसा साधन है जो उन्हें अपनी पूरी अन्तःशक्ति को प्राप्त करने में समर्थ बनाता है।'' दूसरे शब्दों में, यह मानव मूल्यों एवं मानवीय प्रतिष्ठा की उपलब्धि से भी सम्बन्धित है। अतएव ग्रामीण विकास पर उनका विचार उनके बृहत्तर मानवीय परिप्रेक्ष्य से प्रभावित था। उन्हीं के शब्दों में, ''गैर–कृषि विकास एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक सेवाओं का विकास ग्रामीण निर्धनता एवं बेरोजगारी की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कृषि विकास।''[5]

इस तरह राव के मतानुसार ग्रामीण विकास का मतलब सामाजिक परिवर्तन के साथ–साथ आर्थिक बेहतरी से है। ग्रामीण विकास की रणनीतियों की चर्चा यद्यपि राव ने विस्तारपूर्वक की है, लेकिन ग्रामीण विकास लाने के लिए उन्होंने न तो सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति पर प्रकाश डाला है और न ही उन्होंने कोई ऐसे तंत्र की चर्चा की है, जिसका प्रयोग करके इसे सुनिश्चित किया जा सके।[6]

योगेन्द्र एन. दास के अनुसार ''ग्रामीण विकास की अवधारणा को लेकर विभिन्न मत हैं, लेकिन मेरा निष्कर्ष है कि मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं के साथ–ही–साथ ग्रामीण आबादी की मूलभूत आवश्यकताओं से यह प्रथमतः जुड़ी हुई है ताकि उन्हें उत्पादी एवं प्रबुद्ध बनाया जा सके ताकि वे सम्पत्ति का निर्माण कर सकें, न कि उनका भक्षण कर जायें।''[7]

चूँकि ग्रामीण विकास का लक्ष्य निर्धनता को कम करना है इसे इस तरह अवश्य अभिकल्पित किया जाए कि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके। ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सांस्कृतिक क्रियाओं जैसी मूलभूत सेवाओं के साथ–साथ खाद्य आपूर्तियों एवं पौष्टिकता में वृद्धि से ग्रामीण निर्धनों की भौतिक खुशहाली एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में प्रत्यक्षतः सुधार आएगा, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान की उनकी क्षमता भी बढ़ेगी।[8]

बी. सिंह के अनुसार, ''यह एक बहुमुखी धारणा है। इसके अन्तर्गत केवल मौद्रिक आय में ही वृद्धि शामिल नहीं है, परन्तु वास्तविक आदतें, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अधिक आराम के साथ–साथ उन समस्त सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में सुधार भी शामिल है, जो एक पूर्ण और सुखी जीवन का निर्माण करती है।''[9]

देवेन्द्र कुमार दास के शब्दों में, ''ग्रामीण विकास मौलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की एक क्रिया है। इसमें ग्रामीण जनता की जीवन–दशा को प्रत्यक्ष रूप से उन्नत बनाने हेतु सभी इच्छित क्रियाएँ शामिल हैं। ऐसी क्रियाओं में क्षेत्र आधारित, उपक्षेत्रीय या विशिष्ट प्रकृति की क्रियाएँ शामिल हैं।''[10] ग्रामीण विकास एक समग्र क्रिया होने के साथ–साथ समस्त विकास प्रक्रिया का उत्प्रेरक भी है।

महात्मा गाँधी का ग्रामीण विकास से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन एवं असहाय लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाकर ग्राम को एक स्वावलम्बी गणतंत्र बनाना है अर्थात्

ग्रामों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के साथ–साथ उसकी रूढ़िवादिता, पक्षपात तथा संकीर्ण विचारधारा को समाप्त करके उन्हें स्वावलम्बी बनाना है।[11]

ग्रामीण विकास के विविध पहलुओं की चर्चा अनेक विद्वानों ने अपनी सोच के अनुरूप प्रतिष्ठित करने का भरसक प्रयास किये हैं; लेकिन मूल रूप से गाँवों का विकास पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ही संभव है। आज सरकार के विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन पंचायत के द्वारा ही करवा रही है। आज गाँवों में हर तरह की सुविधाएँ मौजूद है। सड़क, पानी, बिजली, गाँवों के चारों तरफ नालियों की व्यवस्था हो जाने से आज गाँव का स्वास्थ्य ही बदल गया है। इस आधार पर यह कहना समीचीन होगा कि ग्रामीण विकास के अन्तर्गत पंचायती राज के माध्यम से गाँवों का विकास निरन्तर हो रहा है।

निष्कर्ष :

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत का वास्तविक विकास, ग्रामीण विकास पंचायतों की भूमिका पर निर्भर करता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के 73वें संशोधित अनुसूची के तहत रखा गया है। आज विकास के सारे कार्यों का निष्पादन ग्राम पंचायतों के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। गाँधी की मान्यता है कि गाँवों का विकास तब होगा, जब सत्ता का हस्तांतरण सरकार से गाँव की ओर हो।[12] वे भारत को गाँवों का महासंघ बनाना चाहते थे।

संदर्भ :

(1) हरिजन, 29.08.36, पृ.226.

(2) *मोदी, प्रो. के. एम. : 'भारत निर्माण ग्रामीण विकास का आधार', कुरूक्षेत्र (मासिक पत्रिका), अक्टूबर, 2012, पृ. 32.*

(3) *इग्नू : रूरल डेवलपमेंट कन्सेप्ट, स्ट्रेटजिज एण्ड एक्सपेरिएन्सेस, यूनिट–2, नई दिल्ली, 2008, पृ. 25.*

(4) *पूर्वोक्त।*

(5) *दास, देवेन्द्र कुमार (2007) : डाइनेमिक्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट : पर्सपेक्टिव एण्ड चैलेंजेज, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 16–17.*

(6) *पूर्वोक्त।*

(7) *पूर्वोक्त।*

(8) *राय, डॉ. रमण जी (2012) : पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास–पंचायतों की भूमिका, रीगल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ.13.*

(9) *सिंह, बी. : इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पृ. 5.*

(10) *दास, देवेन्द्र कुमार, पूर्वोक्त।*

(11) *पंत, डी. सी. (2002) : भारत में ग्रामीण विकास, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, पृ. 13.*

(12) *पांडे, केशव (1991) : स्वतंत्रता के बाद भारत में ग्राम विकास और गाँधी दर्शन, मित्तल प्रकाशन, जयपुर, पृ. 74.*

❁❁

Since March 2002
A National, Registered & Refereed Monthly Journal : **Sociology**
Research Link - 173, Vol - XVII (6), August - 2018, Page No. 55-57
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति : एक अध्ययन
(बिलासपुर जिले के मस्तुरी विकासखण्ड की अनुसूचित जाति के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन बिलासपुर जिले के मस्तुरी विकासखण्ड के अनुसूचित जाति के विशेष संदर्भ में किया गया है। परिवार रुपी गाड़ी के दो पहिये स्त्री और पुरुष हैं। स्त्री -पुरुष के आपसी समन्वय से ही परिवार कायम रहता है और सुचारु रुप से संचालित होता है। महिलाओं की प्रगति पुरुषों के समन्वय एवं सहयोग से सामाजिक धरातल पर दिखाई देती है। ग्रामीण समाज में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति आज भी विचारणीय और दयनीय बनी हुई है। इसके लिए समाज के साथ ही सरकार भी कड़े कदम उठाने होंगे, ताकि समाज में इनकी स्थिति को बेहतर बनाया जा सके।

ममता पारीक*, डॉ.प्रीति मिश्रा एवं डॉ.जवाहरलाल तिवारी*****

प्रस्तावना :

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति समय–काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रही है। ग्रामीण समाज मे अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति आज भी विचारणीय और दयनीय है। इसका मुख्य कारण है ग्रामीण समाज मे आर्थिक–सामाजिक और राजनैतिक चेतना में पिछड़ा होना है। स्वतन्त्रता के पूर्व अनुसूचित जाति की महिलाएँ सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक निर्योग्यताओं से पीड़ित थी। आर्थिक क्षेत्र मे महिलाओं के अधिकार न के समान थे। महिलाओं को 1937 से पूर्व आर्थिक क्षेत्र मे विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। यदि कुछ सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार थे, तो पुत्र एव नाती के पश्चात् ही उनको प्राप्त होते थे। महिलाओं के द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक कार्य करना अनुचित अनैतिक समझा जाता था। आर्थिक दृश्टि से कराया जाने वाला कोई भी कार्य उसकी कुलीनता तथा स्त्रीत्व के विरूद्व माना जाता था। घर में दासी बनकर रह गई और पुरूषों की दया पर रहना उनकी मजबूरी बन गई।

स्वतंत्रता उपरान्त महिलाओं की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन दिखलाई देने लगे। भारत एवं राज्य सरकारों द्वारा पंचवर्षीय योजनाएँ एवं विकास कार्यक्रम संचालित करने से शनै–शनै प्रगति की ओर महिलाएँ अग्रसर हो रही हैं। आर्थिक विकास की स्थिति में परिवर्तन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं उनकी जागरूकता पर निर्भर होती है। आर्थिक स्थितियों की प्रतिकूलता के कारण अधिकांश अनुसूचित जाति की महिलाएँ अशिक्षित रह जाती हैं तथा उनको रोजगार के साधन भी उपलब्ध नहीं हो पाते एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

महिलाओं की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता महिलाओं की आर्थिक स्वतत्रंता है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को आजकल समाज की स्थिति के विकास के एक निर्धारक के रूप मे स्वीकार किया जाता है, क्योंकि महिलाएँ प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः आर्थिक क्रियाओं में योगदान देती है। वे समस्त पारिवारिक दायित्वों का बोझ स्वयं उठाकर पुरूषों को केवल आर्थिक क्रियाएँ सम्पादित करने का पूरा समय व अवसर प्रदान करती हैं और पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के साथ–साथ पुरूषों के साथ कंधे–से–कंधा मिला कर आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहती हैं।

वर्तमान समय में अनुसूचित जाति की महिलाएँ विभिन्न रोजगारों में तथा कृषि कार्यों में मजदूरी कर परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करती दिखाई देती है। हमेशा से अनुसूचित जाति की महिलाएँ आर्थिक एवं विभिन्न निर्योग्यताओं से पीड़ित रही हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त रिपोर्ट (1977–78) के अनुसार जनसंख्या का 50 प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे रहता है, जिसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के पुरूष एवं महिलाएँ अधिकांशतः इसी वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक आदि सभी स्तरों पर शोषण होता आया है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में उनकी अज्ञानता का सभी नाजायज फायदा उठाते हैं। शिक्षा का पर्याय आर्थिक विकास है।

(2) अध्ययन का समाजशास्त्रीय महत्व :

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान के नीति निर्माताओं ने महिलाओं को पुरूषो के समकक्ष माना। अनुसंधान वास्तविकता ज्ञान का घोतक है। अतः मस्तुरी विकासखण्ड की अनुसूचित जाति की महिलाओं की वास्तविक आर्थिक स्थिति को दर्शायेगा। महिलाओं

***शोधार्थी, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)**
****शोध निर्देशक एवं प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग), शासकीय जे.यों.छत्तीसगढ़ स्नातक स्व.महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)**
*****सह-शोध निर्देशक एवं एसोसिएट प्राध्यापक, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)**

के आर्थिक विकास और सशक्तिकरण के लिए केन्द्र व राज्यों की सरकारों ने अनेक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केन्द्र से लेकर गाँवों तक प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। इन नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभाव ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं एवं अन्य वर्ग की महिलाओं पर अपेक्षित रूप से कम पड़ा है। आर्थिक रूप से एवं सामाजिक, राजनीतिक रूप से उनकी स्थिति मे अपेक्षित परिवर्तन नही आया है।

उत्तरा यादव (2004) के शब्दों में, "ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों पर परंपरागत व्यवस्था का प्रभाव बना हुआ है। परंपराएँ उनके विचारों को प्रभावित करती हैं। मजदूर महिलाएँ, कुटीर उद्योग एवं अन्य कार्यो में लगी महिलाएँ आज भी पुरूषों पर निर्भर हैं। सामाजिक व आर्थिक विकास के अनुरूप अपेक्षित परिवर्तन नहीं आया है। महिलाओं की सहभागिता आर्थिक विकास के रूप में आकलन करने का प्रयास किया गया है।"

ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं में सामाजिक व पारिवारिक जीवन में आर्थिक परिवर्तित परिस्थितियों को ज्ञात कर आने वाले तथ्यों को प्रकाश में लाना मुख्य रूप से इस अध्ययन का महत्व दर्शायेगा, जो अन्य शोधकर्त्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होगा।

(3) शोध साहित्य का पुनरावलोकन :

शोध साहित्य के विचारों को स्पष्ट, विस्तृत व उपयोगी बनाने तथा विषय को सीमित करने के लिए उस विषय, पर हुए पूर्ववर्ती अध्ययनों का ज्ञान आवश्यक होता है। पूर्ववर्ती अध्ययनों द्वारा अन्य अध्ययन कर्त्ताओं के विचारों, अध्ययन पद्वतियों और निष्कर्षो की जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा शोध से सम्बंधित तथ्यों के संकलन के सही स्त्रोतों का ज्ञान प्राप्त होता है।

(अ) कुमार (1978) द्वारा किए गए शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि बच्चों की शिक्षा व विकास, स्वास्थ्य और पोषण का सीधा सम्बंध महिलाओं की आय वृद्धि (आर्थिक विकास) से होता है, जिन परिवारों की महिलाएँ कार्य करती हैं, उनके बच्चों को अधिक पोषक आहार मिलता है।

(ब) उत्तरा यादव (2004) ने आपने शोध ा के मुख्य निष्कर्षो को प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि, शिक्षा महिलाओं की स्थिति को बदलने में सकारात्मक भूमिका अदा करती है। इसका प्रभाव कृषि, घरेलू उद्योगों में देखने को मिल रहा है।

(स) विनयागामूर्ति (2007) ने तमिलनाडु के उत्तरी जिले के तीन गाँवों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष दिया है कि स्व–सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं की आमदनी में वृद्धि (आर्थिक विकास मे वृद्धि) हुई है और घर परिवार के खर्चो में भी वृद्धि हुई है। उत्तरी तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्र में स्व–सहायता समूहों के द्वारा महिलाएँ सशक्त हुई हैं।

(द) सिंह (2001) ने अपने शोध में ग्रामीण महिलाओं के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन करके पाया कि अधिकतर महिलाएँ मध्य आयु की थी। वे निम्न साक्षरता, कम पारिवारिक आय व एक परिवार से थी और अधिकांश का सम्बंध अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग से था और वे संचार साधनों के प्रयोग और सामाजिक सहभागिता मे पीछे थी।

(4) शोध अध्ययन का उद्देश्य :

(1) अनुसूचित जाति की महिलाओं की आर्थिक स्थिति का निर्धारण ।

(2) शिक्षित एवं अशिक्षित अनुसूचित जाति की महिलाओं का आर्थिक निर्धारण।

(5) अध्ययन पद्धति :

प्रस्तावित शोध अध्ययन को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र का परिचय, उत्तरदाताओं का चयन, तथ्य संकलन की प्रविधि एवं उपकरण से तीन उप–भागों में विभक्त किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय :

छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 01 नवम्बर 2000 को हुआ। यह भारत का 26 वाँ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य मे 27 जिले है। 27 जिलो में से बिलासपुर सातवाँ स्थान रखता है। बिलासपुर जिले के अर्न्तगत विकासखेण्ड मस्तुरी इसी जिले के अन्तर्गत आता है। मस्तुरी विकासखण्ड की दूरी 15 कि॰मी॰ है। इसका क्षेत्रफल 739.20 किमीहै तथा जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 297726 है, जिसमें से अनुसूचित जाति के परिवारों की जनसंख्या 86228 है। कुल अनुसूचित जाति की महिलाओं की संख्या 42397 है। कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 172 तथा वीरान ग्रामों की संख्या दो है।

उत्तदाताओं का चयन :

बिलासपुर जिले के मस्तुरी विकासखण्ड क्षेत्र के 4 ग्रामों के 2500 परिवार में से 200 परिवार का चयन दैवनिर्देशन से लॉटरी पद्धति के माध्यम से किया जाएगा।

तथ्य संकलन की प्रविधि एवं उपकरण :

प्रस्तावित अध्ययन के तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची उपकरण तथा अवलोकन प्रविधि के माध्यम से किया गया है।

तालिका क्रमांक 1 : ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं की परिवार में आर्थिक स्थिति

ग्राम	घर–जमीन एवं मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी में राय लेना				व्यवसाय एंव अन्य कार्यो में राय लेना			
	हाँ		नहीं		हाँ		नहीं	
	आवृति	प्रतिशत	आवृति	प्रतिशत	आवृति	प्रतिशत	आवृति	प्रतिशत
मस्तुरी	36	18	24	12	30	15	30	15
मल्हार	40	20	10	5	30	15	20	10
रिस्दा	20	10	30	15	10	5	40	20
दर्रीघाट	24	12	16	8	20	10	20	10
योग	**120**	**60**	**80**	**40**	**90**	**45**	**110**	**55**
	120 + 80 + 200				**90 + 110 + 200**			

तालिका 1, ग्रामीण अनुसूचित महिलाओं की परिवार में आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने पर पाया गया कि 18 प्रतिशत उत्तरदाता मस्तुरी, 20 प्रतिशत उत्तरदाता मल्हार, 10 प्रतिशत उत्तरदाता रिस्दा एवं 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं से घर जमीन एवं मूल्यवान वस्तुओं की खरीदी बिक्री में राय ली जाती है तथा व्यवसाय एवं अन्य कार्यो में उत्तरदाताओं से क्रमशः मस्तुरी में 15 प्रतिशत, मल्हार में 15 प्रतिशत, रिस्दा में 5 प्रतिशत एवं दर्रीघाट में 10 प्रतिशत राय ली जाती है।

तालिका क्रमांक 2 : उत्तरदाताओं की आय

स. क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	मजदूरी से 1000 से 3000 के मध्य	168	84.00
2	अन्य निजी व्यवसाय से 2000 से 5000 के मध्य	32	16.00
	योग	**200**	**100**

उत्तरदाताओं की आय का विश्लेशण करने पर पाया गया कि अनुसूचित जाति की महिलाओं की आय मजदूरी से 1000 से 3000 के मध्य है एवं अन्य निजी व्यवसाय से 2000 से 5000 के मध्य है, जो आज की महंगाई के अनुसार बहुत कम है। अतः अनुसूचित जाति की महिलाएँ आर्थिक रूप कमजोर हैं। अनुसूचित जाति की महिलाएँ शिक्षा के अभाव के कारण संचालित विकास कार्यक्रमों से लाभ नहीं ले पाती हैं। मस्तुरी विकासखण्ड के अन्तर्गत निवासरत अनुसूचित जाति की महिलाएँ आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। उन्हें तकनीकि प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से सक्षम बनाना आवश्यक है।

संदर्भ :

(1) *Kumar, S.K. (1978) : The Role of the House hold Economy in child nutrition at low in come. A case study in kerala occasional paper 95 Experiment station, cornell university New York 1978 pp701-706.*

(2) *Vinayagamoorthy (2007) : A women Empowerment Through self help groups A case study in the north Tamil Nadu SEDME [Small enterprises Development management and extension journal] vol. (34) March 2007 pp. 1-8*

(3) *Singh, OR (2001) : Education and women's empowerment social welfare 48(1) 2001 pp 35-36.*

(4) *डॉ. आशुरानी : महिला विकास कार्यक्रम।*

(5) *आप्टे, डॉ. प्रभा : भारतीय समाज में नारी।*

(6) *सिंह, डॉ.वी.एन. एवं सिंह, डॉ0 जनमेजय (2011) : ग्रामीण समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर दिल्ली।*

(7) *तेज संगीता एवं तेजस्कर पाण्डेय (2012) : समाज कार्य, पुस्तक प्रकाशक जुवली ''एच'' फाउन्डेशन, लखनऊ।*

❁❁